मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *120

08.12.2025 को उत्तर के लिए

महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण हेतु वन स्वीकृति

***120. श्री बलभद्र माझी :**
श्री नलिन सोरेन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में विशेषकर जम्मू और कश्मीर, दुमका निर्वाचन क्षेत्र सहित झारखंड, भिवानी-महेन्द्रगढ़ क्षेत्रों सहित राजस्थान और विशेषकर सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों के खनन के लिए सरलीकृत स्वीकृति प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और अनुपालन की निगरानी के लिए तीसरे पक्ष के कौन से तंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण के लिए वन स्वीकृति को और सरल बनाने के क्या कारण हैं और इन क्षेत्रों में जैव विविधता पर पर्यावरण के प्रभाव का आकलन करने के लिए कौन-से अध्ययन किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के खनन से संबंधित प्रतिपूरक वनीकरण का सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी एजेंसियों या स्वतंत्र संस्थानों को अंतिम रूप दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो पुनरुद्धार किए गए/पुन:रोपित क्षेत्रों/भूमि की पारिस्थितिकीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण हेतु वन स्वीकृति" के संबंध में दिनांक 08.12.2025 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्री बलभद्र माझी, श्री नलिन सोरेन द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *120 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा तैयारियों और देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिज अत्यावश्यक हैं। वन क्षेत्रों में ऐसे खनिजों के खनन में पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों सहित राष्ट्र की रणनीतिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाने के लिए लागू क़ानूनों के अंतर्गत प्रदान की गई स्वीकृति प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। वन स्वीकृति की प्रक्रिया में वहीं समान प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो कि गैर-महत्वपूर्ण खनिजों के लिए निर्धारित होती है, जिसमें प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) की आवश्यकता, शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का भुगतान, और स्थल-विशिष्ट उपशमन उपायों का कार्यान्वयन शामिल है। इसी तरह, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के प्रावधान, यथासंशोधित में, संबंधित क्षेत्रीय विशेषज्ञ आकलन समिति (ईएसी)/राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति (एसईएसी) द्वारा व्यापक आकलन और पर्यावरणीय प्रभाव आकलनों से जुड़ी संबंधित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को तैयार करना अधिदेशित है जिसमें पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करते समय जैव विविधता, पारि-प्रणाली और अन्य पारिस्थितिक मापदंड शामिल है। परियोजना प्रस्तावकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय और अन्य संसाधन निर्धारित किए जाएं।

(ग) और (घ): मंत्रालय द्वारा वन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों सहित खनन के लिए दी गई स्वीकृति सुस्पष्ट परिभाषित है और यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की एजेंसियों और विभागों द्वारा की जाती है। ऐसे प्रस्तावों की निगरानी मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को भी सौंपी जाती है। मंत्रालय की दिनांक 29.08.2025 की अधिसूचना के अनुसार, मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुमोदनों या स्वीकृतियों में निर्धारित शर्तों की अनुपालन निगरानी भी पंजीकृत पर्यावरणीय ऑडिटर्स के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है।

इसके अलावा, प्रतिपूरक वनीकरण के लिए, राष्ट्रीय और राज्य काम्पा प्राधिकरणों द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएफ) अधिनियम, 2016 और इसके नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार वृक्षारोपण की निगरानी की जाती है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित होता है।

*****